# कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पश्चिमी खण्ड–08, द्वितीय तल, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110066

## केन्दीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक ( सिविल ) व सिपाही ( पायनियर ) की भर्ती हेतु विज्ञापन

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (सिविल) व सिपाही ( पायनियर) के पदों की रिक्तियों को भरने हेतु भारतवर्ष के पुरूष उम्मीदवार से आवेदन पत्र मॉगे जाते है।

1. रिक्तियॉ :–

| पद | रिक्तियॉ | सामान्य | ओ.बी.सी. | एस.सी. | एस.टी | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उप निरीक्षक / सिविल | 10 | 04 | 03 | 02 | 01 | प्रत्येक श्रेणी में 10 प्रतिशत रिक्तियॉ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं |
| सिपाही / पायनियर | मेसन–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |
| | कारपेन्टर–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |
| | प्लम्बर–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |
| | इलैक्ट्रीशियन–17 | 08 | 05 | 03 | 01 | |
| | ब्लैकस्मिथ–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |
| | वेल्डर–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |
| | पेन्टर–16 | 09 | 04 | 02 | 01 | |

| योग्ताएं / अर्हताएं तथा अन्य शर्ते | | | |
|---|---|---|---|
| | | उप निरीक्षक (सिविल) | सिपाही(पायनियर) |
| 2. | आयु | दिनांक 1/8/2010 को 21 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए | दिनांक 1/8/2010 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
| 3. | शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता | इण्टरमीडिएट के साथ 03 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियर जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान या विश्वविद्यालय से हो । | 1. मैट्रिक या इसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से<br>2. अपने कार्य से संबंधित एक वर्ष का अनुभव जेसे मैसनरी या बढ़ईगीरी या प्लम्बरिंग या इलैक्ट्रीशियन या ब्लैकस्मिथ या बैल्डिंग या पेंटिंग<br>3. जिन अभ्यर्थियों के पास अपने कार्य से संबधित आई0 टी0 आई0 का प्रमाण पत्र होगा उन्हें अग्रता (तरजीह) दी जाएगी। |
| 4. | वेतनमान | रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4200–00 | रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन 2000–00 |
| 5 | अन्य भत्ते | केन्द्र सरकार के कार्मिकों को नियमानुसार समय समय पर देय भत्ते | |
| 6 | डयूटी का स्थान | भारत वर्ष के भीतर और देश के बाहर कही भी | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 1/1/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेशन योजना प्रभावी होगी । | | |
| 8 | जो कार्मिक सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों में सेवा कर रहे है वह अपना आवेदन उचित माध्यम से उनके नियोक्ता कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजें जैसा कि परिशिष्ट–बी में दर्शाया गया है। जो आवेदन पत्र बिना उचित माध्यम और अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त होगें वह निरस्त कर दिए जाएगें। | | |
| 10 | यह भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर है। | | |
| 11 | शारीरिक मापदंड | | |
| | पद | उप निरीक्षक (सिविल) | सिपाही ( पायनियर ) |
| अ) | उॅचाई | 170 सेमी | 170 सेमी |
| ब) | सीना | बिना फुलाए– 80 सेमी<br>फुलाए हुए – 85 सेमी<br>( न्यूनतम् फुलाव – 05 सेमी ) | बिना फुलाए– 80 सेमी<br>फुलाए हुए – 85 सेमी<br>( न्यूनतम् फुलाव – 05 सेमी ) |
| स) | वजन | चिकित्सा स्तर के अनुसार उॅचाई और आयु के अनुपात में । | चिकित्सा स्तर के अनुसार उॅचाई और आयु के अनुपात में । |
| 12 | चिकित्सा मानदंड | | |
| | 1) | ऑख दृष्टि – चश्में के बिना दोनों ऑखों का न्यूनतम दृष्टि 6/6 एवं 6/9 बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए। | |
| | 2) | उम्मीदवार को घनुषाकार टॉगें, आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे, वेरीकोज वेन, ऑखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए तथा रंगों की अच्छी पहचान रखता हो। वे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उनमें ऐसा कोई दोष नहीं हो जिससे प्रभावी ढंग से डयूटी करने में बाधा उत्पन्न हो। | |
| 13. | छुट :– | | |
| | i) | आयु | |
| | अ) | अनु0 जाति/अनु0जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अ0पि0वर्ग0 वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 03 साल की छूट देय होगी। | |
| | ब) | वर्ष 1984 के दंगों में तथा 2002 में गुजरात राज्य के साम्प्रदायिक दंगों मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों/बच्चों के लिए भी 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि यह अभ्यार्थी एससी/एसटी0 और अ0पि0 वर्ग का है तो उसे यह छूट उपर (अ) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी । यह छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जहॉ पर अभ्यार्थी का संरक्षक मारा गया हो। | |
| | स) | पर्सनल, कार्मिक, ग्रीवेन्सेस एवं पेंशन ( पेंशन एवं प्रशिक्षण) मंत्रालय की अधिसूचना सं0 15012/7/1991–स्था0(डी) दिनांक 6/12/2005, के अनुसार जो उम्मीदवार जम्मू व कशमीर राज्य में दिनांक 1/1/80 से 31/12/89 तक के मध्य बसे है उनको भी उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इस सुबिधा को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित प्राधिकारियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।<br>(1) उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रैट का प्रमाण जहॉ पर उम्मीदवार निवास कर रहा है। अथवा<br>(2) कोई भी अन्य प्राधिकारी जिसे जम्मू व कश्मीर की सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियुक्त किया गया हो । | |

| | | |
|---|---|---|
| | द) | भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवाओं में कार्यरत कार्मिक जो केवल उप निरीक्षक ( सिविल ) वर्ग की भर्ती के लिए आवेदन करेगें, को भी 05 वर्ष की छूट की प्रदान की जाएगी । |
| | य) | भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सिपाही होता है, उसके लिए केवल लिखित टैस्ट एवं चिकित्सा फिटनेस टैस्ट उसकी चिकित्सा श्रेणी ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार के आदेशानुसार शारीरिक दक्षता एवं शिक्षा में निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जाएगी। उपरी आयु सीमा में सेना की सेवा को जोडते हुए 03 वर्ष की छूट है। कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगा। |
| | **ii)** | <u>उॅचाई</u> |
| | अ) | गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, अरूणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उचाई 165 सेमी0 होगी। |
| | ब) | सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उचाई 162.5 सेमी होगी। |
| | **iii)** | सीना |
| | अ) | <u>केवल सिपाही ( पायनियर ) हेतु</u><br>गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, अरूणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना होगा।<br>बिना फुलाए हुए – 78 सेमी एवं फुलाए हुए – 83 सेमी |
| | ब) | <u>केवल सिपाही ( पायनियर ) हेतु</u><br>सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना होगा।<br>बिना फुलाए हुए – 76 सेमी एवं फुलाए हुए – 81 सेमी |
| | स) | <u>केवल उप निरीक्षक ( सिविल) हेतु</u><br>सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना होगा।<br>बिना फुलाए हुए – 77 सेमी एवं फुलाए हुए – 82 सेमी |
| | **iv)** | जो अभ्यर्थी उॅचाई/सीना की माप में छूट लेना चाहते है उन्हें अनेक्सर–03 में दिया गया प्रमाण पत्र देना होगा। |
| 14 | क) | <u>कैसे आवेदन करें।</u><br>योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार को चाहिए कि वह परिशिष्ट–ए में दिए गए आवेदन पत्र के नमूनों को फुलस्केप पेपर पर स्वच्छ टाईप या हस्तलिपि में लिखकर उसमें सम्पूर्ण विवरण भरकर साथ में दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जिसमें से एक आवेदन पत्र पर और दूसरा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हो तथा लिफाफे पर स्पष्ट रूप से <u>उप निरीक्षक (सिविल ) या सिपाही ( पायनियनर) की भर्ती हेतु</u> लिखकर <u>पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, कादरपुर जिला– गुडगॉव ( हरियाणा) 122001</u> को दिनांक 04 अगस्त, 2010 तक या इससे पहले प्रसतुत कर देना चाहिए। इच्छूक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल कादरपुर जिला– गुडगॉव ( हरियाणा) 122001 के मुख्य द्वार पर लगे ड्राप्स बाक्स, में भी डाल सकते है। जो आवेदन पत्र नियत तिथि अर्थात् 04 अगस्त, 2010 के बाद प्राप्त होगें उन पर कोई कार्रवाई नहीं जाएगी और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को भी रद्द कर दिया जाएगा और इस विषय में कोई पत्राचार नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | | किया जाएगा । |
| | ख) | <u>आवेदन फीस</u><br>सामान्य एवं अ0पि0वर्ग के उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ रू0 50/– का कास आई0पी0ओ0 (अहस्तारंणीय) जो <u>पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, कादरपुर, जिला– गुडगॉव ( हरियाणा)</u> के पक्ष में देय होगा, प्रेषित करेंगे । एस0सी0 एवं एस0टी0 समुदाय के उम्मीदवारों से कोई शुल्क/फीस नहीं लिया जाएगा।<br>नोट :–इण्डियन पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफटस के अलावा अन्य स्रोतो से दी गई फीस मान्य नहीं होगी और ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों को सीधे निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी यह राशि जब्त रहेगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | <u>चयन प्रकिया</u> | |
| | i) | <u>केवल उप निरीक्षक ( सिविल) हेतु</u><br>जो उम्मीदवार अपने पद की भर्ती के लिए दिए गए मानको के अनुरूप सभी तरह से योग्य पाए जाएंगें उन्हें भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती की तिथि व स्थान की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को प्रबेश कार्ड द्वारा दे दी जाएगी। भर्ती हेतु निम्नलिखित चरणों के गुजरना होगा। |
| | अ) | <u>शारीरिक मापदंड</u><br>उम्मीदवारों को शुरूआती दौर में शारीरिक नापतौल की प्रकिया से गुजरना पडेगा जहॉ पर उनकी ऊॅचाई, सीना एवं वजन की जॉच होगी। |
| | ब) | <u>शारीरिक दक्षता परीक्षण</u><br>जो उम्मीदवार शुरूआती नापतौल में योग्य पाए जाएंगे उन्हें निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा । केरिपुबल के विभागीय कार्मिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी। |

| दौड/स्पर्धा | दूरी | समय/अवसर प्रदान किए जाएंगे |
|---|---|---|
| दौड | 100 मी0 | 16 सेकेंड में पूर्ण की जाएगी। |
| दौड | 1.6 कि0 मी0 | 6.5 मिनट में पूर्ण की जाएगी। |
| लम्बी कूद | 3.65 मीटर | 03 अवसर |
| उॅची कूद | 1.2 मीटर | 03 अवसर |
| शॉट पुट | 4.5 मीटर | 03 अवसर |

| | | |
|---|---|---|
| | | नोट :– जो उम्मीदवार उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास नहीं होगें उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और वह लिखित परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। |
| | स) | <u>लिखित परीक्षा ( 100 अंक )</u><br>लिखित परीक्षा ( कुल अंक 100 ) की होगी जिसमें व्यवसायिक ज्ञान (80 अंक ) और सामान्य जागरूकता ( 20 अंक ) निर्धारित होगें। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्न होगें । प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होगें जिसका समय 02 घण्टे होगा। उत्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में दिए जा सकेंगे। |
| | द) | <u>साक्षात्कार ( 20 अंक )</u><br>साक्षात्कार में उनके व्यक्तित्व, उत्तर तत्परता, दक्षता और सामान्य वृद्धिमत्ता के स्तर की जॉच होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | र) | <u>चिकित्सा परीक्षा</u><br>साक्षात्कार में वरीयता कम में आए सफल उम्मीदवारों का निहित प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार या तो फिट या अनफिट घोषित होगा और कोई भी अस्थायी फिट नहीं किया जाएगा। |
| | ल) | <u>वरीयता सूची जारी करना।</u><br>लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित किए गए अंको के आधार पर श्रेणीवार (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग) अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की जायेंगी । एक जैसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् जिसकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी । जन्मतिथि समान होने पर उम्मीदवारों के नाम के प्रथम अक्षर (अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार) के आधार पर वरीयता दी जायेगी । |
| | व) | <u>अन्तिम चयन</u><br>प्रत्येक श्रेणी की वरीयता सूची के आधार पर उम्मीदवारों का अन्तिम चयन किया जायेगा । अन्तिम चयन हेतु उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंक तथा दोनों पेपर में पूर्णाक 50 प्रतिशत प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। |
| | ii) | <u>केवल सिपाही ( पायनियर ) हेतु</u><br>जो उम्मीदवार अपने पद की भर्ती के लिए दिए गए मानको के अनुरूप सभी तरह से योग्य पाए जाएंगें उन्हें भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती की तिथि व स्थान की जानकारी उनको प्रबेश कार्ड द्वारा दे दी जाएगी। जहॉ पर उन्हें भर्ती हेतु निम्नलिखित चरणों के गुुजरना होगा। |
| | अ) | भर्ती के शुरूआती चरण में उम्मीदवारों को उॅचाई बार से गुजरना होगा । जो उम्मीदवार इसमें सफल होगें उनको 05 किमी दौड में शामिल किया जायेगा जोकि 24 मिनट में पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार 05 कि0मी0 दौड 24 मिनट में पूर्ण नहीं कर पायेंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा वह भर्ती के अगले चरणों में भाग नहीं ले सकेगें। 05 किमी0 दौड की प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक उम्मीदवार की अंगूठे की छाप/ पहचान चिन्ह लिया जाएगा। अंगूठे का निशान एवं पहचान चिन्ह की जॉच भर्ती के प्रत्येक चरण में जाएगी ताकि गडवडी न हो। इसके पश्चात् उम्मीदवारों के मूल शिक्षा प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की जॉच की जायेगी तथा योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण जैसे शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पी0एस0टी0) के लिए अनुमति दी जायेगी । |
| | ब) | <u>शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पी0एस0टी0)।</u><br>जो उम्मीदवार शिक्षा प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों जॉच में सफल होंगे उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा उचाई, सीना, वजन आदि की मापतौल की जायेगी जिसके उपरांत योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0टी0) के लिए भेजा जाएगा। |
| | स) | <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0टी0)</u><br>शारीरिक दक्षता परीक्षा में उम्मीदवारों को निम्नलिखित टेस्ट से गुजरना होगा।<br>अ) 11 फिट लम्बी कूद – 03 अवसर दिए जाएगें।<br>ब) 3.5 फिट उची कूद – 03 अवसर दिए जाएगें। |
| | | पी0ई0टी0 टैस्ट के लिए कोई अंक नहीं जोडे जाएगें । यह टैस्ट के लिए केवल क्वालीफाई करना_होगा। भू0पू0 सैनिकों के लिए कोई पी0ई0टी0 टैस्ट नहीं लिया जाएगा। हॉलाकि उन्हें लिखित परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।<br>नोट :– जो उम्मीदवार उपरोक्त चरणों को सफलतापूर्वक नहीं करेगा तो उसको भर्ती के किसी भी अगले चरण में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | द) | <u>ट्रैड टेस्ट</u><br>शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की बोर्ड द्वारा उनके संबंधित ट्रैड में दक्षता का आंकलन किया जायेगा जिसके लिए बोर्ड में एक सहायक सदस्य जिसे संबंधित ट्रैड का ज्ञान होगा, को भी नियुक्त किया जायेगा । |
| | य) | <u>लिखित परीक्षा ( 100 अंक )</u><br>लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी । प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे जोकि सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान/प्रारम्भिक गणित/दक्षता व योग्यता तथा हिन्दी व अंग्रेजी ज्ञान का स्तर जॉचने से संबंधित होगें। यह प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसके उत्तर या तो हिन्दी या फिर अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। |
| | र) | <u>चिकित्सा परीक्षा</u><br>उम्मीदवार की दिए गए निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा परीक्षा की जाएगी जिसमें उसकी शारीरिक एवं चिकित्सा फिटनैस की जॉच होगी। प्रत्येक उम्मीदवार या तो फिट या अनफिट घोषित होगा और किसी को भी अस्थायी फिट नहीं किया जाएगा। |
| | ल) | <u>वरीयता सूची</u><br>लिखित परीक्षा में अर्जित किए गए अंको के आधार पर श्रेणीवार (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग) अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की जायेंगी । एक जैसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् जिसकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी । जन्मतिथि समान होने पर उम्मीदवारों के नाम के प्रथम अक्षर (अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार) के आधार पर वरीयता दी जायेगी । |
| | व) | <u>अन्तिम चयन</u><br>प्रत्येक श्रेणी की वरीयता सूची के आधार पर उम्मीदवारों का अन्तिम चयन किया जायेगा । अन्तिम चयन हेतु उम्मीदवारों को अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम निम्नलिखित प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ।<br>सामान्य व भू0पू0 सैनिक – 35 प्रतिशत<br>एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 – 33 प्रतिशत |

**16.** <u>चिकित्सा जॉच के विरूद्ध अपील करना।</u>

चिकित्सीय परीक्षण में किसी भी उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जायेगा तथा मैडीकल बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित किए गए उम्मीदवारों को अपील पैनेल के समक्ष 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन देना होगा जिनका निष्पादन अयोग्य घोषित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर किया जायेगा । अयोग्य उम्मीदवारों को अपनी अपील के साथ पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु फीस रू0 25/– का कास आई0पी0ओ0/ डी0डी0/बैंकर चैक जोकि अपीलीय प्राधिकारी <u>पुलिस उप महानिनरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, कादरपुर जिला– गुडगॉव ( हरियाणा) 122001</u> के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा । उक्त फीस के बिना प्राप्त अपीलों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

17. उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अपनी शंकाओं के समाधान हेतु केरिपुबल की निम्नलिखित ई–मेल / दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है :

| सैक्टर / ग्रुप केन्द्र | दूरभाष | ई–मेल |
|---|---|---|
| उत्तरी सैक्टर, केरिपुबल, नई दिल्ली | 011-26104912 | igp03ns@rediffmail.com |
| ग्रुप केन्द्र केरिपुबल ग्रुड़गॉव | 0124-2266457 | adiggcggn@rediffmail.com |

18. सामान्य शर्ते

1. केरिपुबल में नियुक्त होने पर, उम्मीदवार केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।

2. परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि व लिखित परीक्षा हेतु पैन / पैंसिल अपने साथ लेकर आए।

4. उम्मीदवार को भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

5. उम्मीदवार अपने खर्च/रिश्क पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

6. सभी योग्य उम्मीदवारों को भर्ती की तिथि व स्थान की जानकारी डाक द्वारा दे दी जाएगी ।

7. अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को छाती एक्स–रे और पैथोलॉजी टैस्ट के आधार पर ही नियुक्ति दी जायेगी ।

8. उम्मीदवार की नियुक्ति होने के बाद उसको केरिपुबल0 के प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण करवाया जाएगा।

9. केरिपुबल में चयन/नियुक्त होने के उपरान्त यदि किसी उम्मीदवार को कोई तथ्य छुपाने का दोषी पाया जायेगा तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

10. भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।

11. लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल की वेबसाइट पर जारी करने के साथ–साथ संबंधित भर्ती केन्द्र पर भी लगाया जायेगा ।

12. पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी जो जम्मू व कश्मीर में रह रहे है परन्तु उनको जम्मू व कश्मीर राज्य के वासिंदों का दर्जा नहीं दिया गया वह भी बिना निवास प्रमाण पत्र जो जम्मू व कश्मीर राज्य के प्राधिकारियों के द्वारा जारी किया गया हो उसके बिना भी भर्ती में भाग ले सकते है।

13. भू0पू0 के0रि0पु0बल के सदस्यों को नए उम्मीदवार के तौर पर लिया जाएगा और उनको भू0पू0 सैनिकों जैसी छूट नहीं प्रदान की जाएगी ।

14. <u>उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना</u>

1- भर्ती प्रकिया के दौरान अभ्यार्थियों को 16 सैकेन्ड में 100 मीटर, 6.5 मिनट में 1.6 किसी तथा 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड पूरी करनी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रकिया में सम्मिल्लित होने से पूर्व दौड का अभ्यास करें। उन्हे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस बावत् अपना चिकित्सा परीक्षण करवा लेवें कि वे दी गई अवधि के दौरान निर्धारित दूरी दौड कर पूरी कर सकते है अथवा नहीं। भर्ती प्रकिया में होने वाली दौड एवं अन्य गतिविधियों के दौरान अभयर्थियों को लगने वाली चोट/अनवांछित दुर्घटना एवं अन्य चिकित्सीय समस्याओं के लिए केरिपुबल जिम्मेवार नहीं होगा ।

2. इस भर्ती प्रकिया के दौरान दलालों एवं जाल साजों से सावधान रहने की आवश्यकता है चूँकि के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई रूपया–पैसा नहीं लिया जाता है । यदि आपने किसी को रूपया–पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खाया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति रूपया–पैसा की मांग करता है अथवा भर्ती का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें ।

(के0एम0 अय्यर)
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा)

## परिशिष्ट – ए

## उप निरीक्षक ( सिविल )/ सिपाही ( पायनियर ) के पद की भर्ती हेतु आवेदन पत्र

( यह आवेदन फार्म साफ व स्वच्छ लिखाई में कैपिटल अक्षरों में भरा जाएगा, इसमें सम्पूर्ण सूचनाएं भरी जाएगी और इसके साथ शिक्षा प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी/ अधूरे भरे हुए फार्म को स्वीकारर नहीं किया जाएगा।)

| |
|---|
| यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो ( 3.5 x 4.5 Cms) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ चिपकाया जाएगा। |

| कार्यालय के प्रयोग हेतु जगह |
|---|
| अनुक्रमांक / जाति .................................................................................... <br> आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले केन्द्र का नाम .................................................................. |

विज्ञापन नं0 ..................................................वर्ष ..............................................

1. ब्लॉक अक्षरों में नाम ( जैसा कि दसवी के प्रमाण पत्र में दर्ज हो )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2. पिता का नाम ( जैसा कि दसवी के प्रमाण पत्र में दर्ज हो )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

3. जन्मतिथि

| तिथि | तिथि | माह | माह | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

4. राष्ट्रीयता ( या तो जन्म और निवास )

5. समुदाय/धर्म :– हिन्दू/मुस्लिम/सिख/ईसाई/वुद्ध/जैन/अन्य

6. श्रेणी :– सामान्य/एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0

7. शिक्षा एवं व्यवसायिक योग्यताएं :– ................................................................................

( शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अन्य तकनीकी योग्याओं से संबंधित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें )

8. शारीरिक मापतौल

| उचाई समी | सीना/छाती | वजन |
|---|---|---|
| | | |

9. स्थायी पता :–

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | पिन | कोड | | | | | | |

10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :–

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | पिन | कोड | | | | | | |

नोट :– केवल वह ही उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करें जो इस भर्ती हेतु निर्धारित शारीरिक नापतौल/तकनीकी योग्यता रखते हों जो विज्ञापन में दी गई है ताकि वाद में कोई निराशा न हो।

11. यदि कहीं नौकरी कर रहे है तो उसका विवरण, पद का नाम/विभाग का नाम आदि लिखें ........................................................................................................................

12. जिला एवं राज्य जहॉ का वह निवासी है:– ..........................................................

13. परीक्षा देने का माध्यम : ( हिन्दी व अंग्रेजी किसी एक में निशान लगाएं )

14. दस्तावेजों की सूची:–

अ) क्रास इण्डियन पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफटस/बैंकर चैक रू0 50–00 ( पचास ) मात्र केवल

ब) सत्यापित प्रतियॉ

1) शिक्षा एवं तकनीकी प्रमाण

2) जन्मतिथि प्रमाण पत्र ( जैसा कि 10 वीं के प्रमाण पत्र में है )

3) निवास प्रमाण पत्र

4) अनु.जाति/अनु.जनजाति/ अ.पि.वर्ग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो

5) पहाडी या जनजाति का प्रमाण, यदि लागू हो तो

6) भू0पू0 सैनिकों का सेवा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र

7) यदि कार्मिक कही सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाानों में सेवा कर रहा है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र

स) 4 व 9 इंच के दो लिफाफे जिन पर स्वंय का पता लिखा हो और उन दोनों पर रू0 5–00 मात्र के डाक टिकट लगे होने चाहिए।

द) उम्मीदवार के नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। इनमें से एक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र पर और दूसरे को फार्म के साथ सलंग्न करें।

15. डिमांड ड्राफट का विवरण /आई0पी0ओ0 का नं0, तिथि व जारी करने वाली शाखा का नाम ..........................................................................................................

## घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में दिए गए सभी तथ्य बिल्कुल ठीक और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। दी गई किसी भी सूचना टैस्ट एवं साक्षात्कार से पहले या बाद में गलत या अपूर्ण या अयोग्य पायी जाती है तो मेरी इस भर्ती हेतु उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाए और मेरी इस भर्ती के लिए दावेदारी समाप्त कर दी जाए । _______________

स्थान :
तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर
( आवेदन पर हस्ताक्षर न होने की स्थिति में अस्वीकार कर दिया जाएगा)

नोट : जो उम्मीदवार पहले से ही सरकारी नौकरी में उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजना होगा ।

**परिशिष्ट – बी**

## अनापत्ति प्रमाण–पत्र

क) प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------------- पुत्र श्री --------------- केन्दीय / राज्य सरकार के अधीन -------------- के पद पर स्थायी / अस्थायी तौर पर कार्यरत है ।

ख) प्रमाणित किया जाता है कि श्री -------------- को उसके द्वारा केरिपुबल में आवेदित पद पर नियुक्ति होने पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

स्थान : _______________
दिनांक :_________________

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मोहर सहित

अनेक्सर– I

## अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..............................पुत्र श्री.............................. ग्राम/नगर .....................जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ......................के निवासी...........................जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति ओदश,1956

’ संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1959

’ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।

’ संविधान (दादरा तथा नगर हवेली ) अनुसूचित जाति ओदश, 1962

’ संविधान (दादरा तथा नगर हवेली ) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962

’ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1964

’ संविधान (उत्तर प्रदेश ) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1967

’ संविधान (गोवा, दमन व दीव ) अनुसूचित जाति ओदश, 1968

’ संविधान (दादरा तथा नगर हवेली ) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962

’ संविधान (नागालैंड ) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1970

’ संविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जाति ओदश, 1978

’ संविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1978

’ संविधान (अनुसूचित जाति ) ओदश (संशोधन), अधिनियम 1990

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति ) ओदश (संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति ) ओदश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति ) अध्यादेश, 1996

02. यह प्रमाण पत्र श्री .....................पुत्र श्री.................. ग्राम/नगर........................ जिला/मंडल..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................को जो..................... जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ............में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को अथवा श्री...............तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर....................जिला/मंडल................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को.........................(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक ............................ संख्या............................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है

स्थान.......................................... हस्ताक्षर...............................

दिनांक............................................ पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

## जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

अनेक्सर –II

## भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02/07/1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94–स्था0(रेज) )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..............................पुत्र/पुत्री श्री.............................. ग्राम .....................जिला/प्रमण्डल..................राज्य......................समुदाय...........................के हैं जो निम्न के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

'1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र–1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में पकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93–बी सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.

'2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र–1, सेक्सन–1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94–बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.

'3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र–1, सेक्सन–1 न0– 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.

'4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पाट्र–1, सेक्सन–1 न0– 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96–बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

श्री........................................तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया राज्य के....................जिला/प्रमण्डल .................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करता हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान.........................................                    हस्ताक्षर...............................

दिनांक...............................                    पदनाम......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

## जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

अनेक्सर – III

<u>ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.......................................पुत्र श्री.........................................................जिनका सत्यापित फोटो नीचे लगा है, ग्रम..........................तहसील/तालुका...........................................
जिला.....................................राज्य ................................का स्थाई निवासी है।

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.......................................पुत्र श्री...................................................
(गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी) समुदाय के (समुदाय का नाम) समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.......................................पुत्र श्री...................................................
(पूर्वोत्तर राज्यों) के (राज्य का नाम) राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.......................................पुत्र श्री...................................................
(जनजाति का नाम) जनजाति/आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

गोल मोहर

स्थान –
दिनांक –

जिलाधिकारी/सब डिविजनल
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के हस्ताक्षर
मोहर के साथ

अनेक्सर – IV

## चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र

मै/हम यह प्रमाणित करता हूॅं कि मैने/हमने श्री/श्रीमती .......................................... जो कि .......................................... विभाग में भर्ती के लिए उम्मीदवार है कि जांच की तथा उसमें शारीरिक दोष/कमी ................................................. को छोड़कर किसी प्रकार की बीमारी (संचारी या अन्य), का होना नही पाया है । मैं/हम उसे भर्ती हेतु .............................................. के कार्यालय के लियें अयोग्य नही मानते है।

नोट–

यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा इस पूरे तथ्यों की जानकारी के उपरांत जारी किया जा रहा है कि कार्मिक को पहले ही केरिपुबल के मेडिकल अधिकारी द्वारा भर्ती के लिये अयोग्य धोषित किया गया है ।

स्थान –

दिनांक –

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी
/बोर्ड के चिकित्साधिकारी